न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–76 / 2026
तरियानी थाना कांड संख्या–41 / 2026.
सरकार बनाम् निक्की कुमारी व अन्य
अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 109(1), 305, 329(4), 352, 3(5) of BNS.

सी.एन.आर.नं0–BRSO01000513-2026

01. निक्की कुमारी, पति–सोनू कुॅवर, उम्र करीब–29 वर्ष,
02. कृष्णा देवी, पति–रामशंकर कुॅवर, उम्र करीब–60 वर्ष,
दोनों निवासी ग्राम–औरा, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर.....आवेदिकागण।

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदिकागण के विद्वान अधिवक्ता –श्री संतोष कुमार भारद्वाज।
सूचक के निजी विद्वान अधिवक्ता –श्री मधुकान्त पाण्डेय।
बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक –श्री सुरेश राय।

उपस्थितिः दीपक कुमार,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
18.03.2026

दिनांक–18.03.2026 **आदेश**

आवेदिका अभियुक्तगण–01. निक्की कुमारी एवं 02. कृष्णा देवी (दोनों अभियुक्तगण), जिनका मामला तरियानी थाना कांड कांड संख्या–41 / 2026, अंतर्गत धारा–**126(2), 115(2), 109(1), 305, 329(4), 352, 3(5) of BNS.** के लिए दर्ज किया गया है, में उनके द्वारा उक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की प्रत्याशा में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिनको उनके सम्बद्ध विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार भारद्वाज के द्वारा संचालित किया गया, जिस पर उनको एवं सूचक की ओर से उनके निजी विद्वान अधिवक्ता श्री मधुकान्त पाण्डेय तथा अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री सुरेश राय को सुना गया।

अभियोजन का मामला प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में यह है, जिसमें सूचक अभिषेक कुमार ने तरियानी थाना पर दिये गये अपने लिखित आवेदन में लिखा है कि–दिनांक–13.02.2026 को मेरे पड़ोस के फरिकन में तिलक का समारोह था। उस तिलक में हम परिवार सहित सभी लोग गये हुए थे। रात तरकीबन 09:30 बजे जब हम लौटे तो देखा कि ताला तोड़कर हमारे घर के बगल के सोनु कुंवर, पिता–रामाशंकर कुंवर, रामाशंकर कुंवर, पिता–स्व0 राजनारायण कुंवर, घर का सामान निकाल रहा था। जब हमने सामान छीनना चाहा और उसका विरोध किया, तब सोनु कुंवर जान मारने के नियत से लोहे का रड से सर पर मारकर सर फाड़ दिया। तभी रामाशंकर कुंवर, निक्की देवी, कृष्णा देवी (दोनों अभियुक्त), सभी लोग मिलकर लाठी–डंडा से मारपीट किया और बेहोश होने के बाद निक्की देवी गले का चैन (सोने का), हाथ का अंगुठी निकाल लिया। मेरा ईलाज तरियानी पी0एच0सी0 में हुआ। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदिकागण के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदिकागण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी अन्य वरीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदिकागण के विरूद्व पूर्व से एक केस है, जिसमें वे जमानत पर है। उभय पक्षों में वाद एवं प्रतिवाद है। वास्तविकता है कि सूचक एवं अन्य ने मारपीट किया था, जिसके लिए आवेदिका निक्की कुमारी ने तरियानी थाना में आवेदन दी है। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज करायी गई है। ग्रामीण गंदी राजनीति के कारण आवेदिकागण को इस वाद में फंसा दिया गया है। सूचक का कहना गलत है कि आवेदिकागण उनके साथ लाठी–डंडा से मारपीट किया तथा आवेदिका निक्की देवी ने गले से सोने का चैन एवं हाथ का अंगुठी निकाल लिया। आवेदिकागण सक्षम जमानत बंध पत्र देने

लगातार / –

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–76/2026
तरियानी थाना कांड संख्या–41/2026.
सरकार बनाम् निक्की कुमारी व अन्य
अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 109(1), 305, 329(4), 352, 3(5) of BNS.

सी.एन.आर.नं0–BRSO01000513-2026

दिनांक–18.03.2026 **–2–**

को तैयार है तथा उनके पलायन की कोई संभावना नही है। अतः आवेदिकागण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

विद्वान लोक अभियोजक एवं सूचक के निजी विद्वान अधिवक्ता आवेदिकागण के अग्रिम जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका अभियुक्तगण–01. निक्की कुमारी एवं 02. कृष्णा देवी (दोनों अभियुक्तगण) पर प्राथमिकी के नामित अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर सूचक के साथ लाठी–डंडा से मार–पीट करने एवं आवेदिका अभियुक्त–निक्की कुमारी पर सोने का चैन एवं हाथ का अंगुठी निकाल लेने की बात कही जाती है। वाद दैनिकी की कंडिका–07. पर वादी का पुनःबयान है। कंडिका–08. पर साक्षी ने सिर्फ मार–पीट होने की बात कहते हुए सोने का चैन और अंगुठी को चोरी करते हुए किसी को नहीं देखने की बात कहा है, जबकि कडिका–09 पर साक्षी ने सिर्फ मार–पीट करने की बात कहा है। वाद दैनिकी की कंडिका–21. में एवं आवेदिकागण के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन के कंडिका–03. में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिकागण के विरूद्व थाना अभिलेख में पूर्व से एक मामला–तरियानी थाना कांड संख्या–07/2026, दर्ज होने का तथ्य अंकित है, जिसमें वे जमानत पर हैं। वाद दैनिकी की कंडिका–45. में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से विदित होता है कि चिकित्सक ने सूचक के जख्म को साधारण प्रकृति का पाया है। आवेदकगण के विरूद्व आरोप सामान्य और सर्वव्यापी प्रकृति के हैं। अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अन्य को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका अभियुक्तगण–01. निक्की कुमारी एवं 02. कृष्णा देवी में से प्रत्येक को आदेश की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर सक्षम विद्वान न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने या गिरफ्तार होने पर सम्बन्धित विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के संतुष्टियोग्य मो0–10,000/–(दस हजार रूपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानत बंध–पत्र निष्पादित किये जाने पर धारा–482(2)बी0एन0एस0 के शर्त के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश प्रदान किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्विकृत

ह0/–

प्रधान सत्र न्यायाधीश
शिवहर।
18.03.2026